# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2019/00270
पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :– 41/2019

कालूराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम देवगुढा तहसील आमेर जिला जयपुर।

––– प्रार्थी

बनाम

1. कोयली देवी पत्नी प्रभूदयाल
2. गोपाल पुत्र कालूराम
3. जगदीश पुत्र कालूराम
4. नेमीचन्द पुत्र कालूराम
5. प्रधान पुत्र प्रभूदयाल
6. बाबूलाल पुत्र कालूराम
7. मंगला पुत्र बलदेव
8. मनीष पुत्र प्रभूदयाल
9. ममता पुत्री प्रभूदयाल
10. मोहन पुत्र कालूराम
11. सरजू पुत्र कालूराम
12. नानू पुत्र चन्द्रा
13. रामेश्वर पुत्र भूरा
    समस्त जाति जाट निवासी ग्राम देवगुढा तहसील आमेर जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर

––– अप्रार्थीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :–18.12.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी का प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 252 रकबा 4.23 हैक्ट0, खसरा नम्बर 252/929 रकबा 1.77 हैक्ट0, कुल किता 2 कुल रकबा 6.00 हैक्ट0 वाके ग्राम देवगुढा पटवार हल्का देवगुढा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर

स्थित है। जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थी है तथा अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 13 पडौसी काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण सं0 14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार है। प्रार्थी के कब्जे काश्त के उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान दिनांक 26.6.2019 को श्रीमान उपतहसीलदार जालसू के आदेश क्रमांक भू.अ./2019/805 दिनांक 20.06.2019 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा उभयपक्षों की उपस्थिति में किया जा चुका है।

उक्त कृषि भूमि के सीमाकंन अनुसार प्रार्थी पत्थरगढी करवाना चाहता है पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 13 को उक्त सीमाकंन अनुसार पत्थरगढी बाबत कोई उज्र हो तो माननीय न्यायालय उन्हें तलब कर प्रार्थी के पक्ष में सीमाकंन अनुसार पत्थरगढी कराने के आदेश प्रदान करें। जिससे सीमा के विवाद का निस्तारण हो सकें। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 13 की कृषि भूमि की सीमाएं आपस में मिली हुई है। इस कारण अप्रार्थीगण को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 252 रकबा 4.23 हैक्ट0, खसरा नम्बर 252/929 रकबा 1.77 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 6.00 हैक्ट0 वाके ग्राम देवगुढा, पटवार हल्का देवगुढा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर की पत्थरगढी अप्रार्थीगण 1 लगायत 13 को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान कर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करें। अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थी को प्रदान किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 13 नोटिस तामिल के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 06.12.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं0 14 तहसीलदार आमेर से प्रार्थना पत्र की बिन्दूवार तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई जो उनके पत्र क्रमांक भू.अ./19/5989 दिनांक 20.11.2019 के द्वारा भिजवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम देवगुढा के खसरा नम्बर 252 रकबा 4.23, 252/929 रकबा 1.77 कुल किता 2 रकबा 6.00 है0 भूमि प्रार्थी श्री कालूराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी देवगुढा तहसील आमेर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान उपतहसीलदार जालसू के आदेश क्रमांक /भू.अ./19/805 दिनांक 20.06.2019 की पालना में दिनांक 26.6.19 को किया हुआ है। उक्त खसरा नम्बरान की पश्चिमी व दक्षिणी सीमाओं पर पडौसी काश्तकारों से सीमा संबंधी विवाद की स्थिति मौके पर पाई है। जिसके कारण प्रार्थी मौके पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। उक्त खसरा नम्बरान के पडोसी

काश्तकारों में श्री रामेश्वर पुत्र भूरा, नानू पुत्र चन्दा, गोपाल, जगदीश, नेमीचंद, बाबूलाल, मोहन, सरजू देवी पि0 कालूराम, कोयली पत्नी प्रभुदयाल, प्रधान, मनीष, ममता पि0 प्रभूदयाल, मंगला पुत्र बलदेव समस्त जातियान जाट निवासी देवगुढा स्थित है। मौके पर सीमा संबंधी विवाद की स्थिति होने से शान्ति व्यवस्था हेतु पुलिस इमदाद की भी आवश्यकता होगी।

हमने प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से बहस सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2019 को किया जा चुका है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि में किसी प्रकार का विवाद न्यायालय में स्थगन या कोई आपत्ति नहीं बताई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 252 रकबा 4.23 हैक्टे0, खसरा नम्बर 252/929 रकबा 1.77 हैक्टे0 कुल किता 2 रकबा 6.00 हैक्टे0 वाके ग्राम देवगुढा, पटवार हल्का देवगुढा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्राप्त कर राजकोष में नियमानुसार जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत नोटिस व सूचना दिया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सम्पादित करावें। आदेश सुनाया गया।

आज दिनांक **18.12.2020** को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर